संख्या–702/65–2–2017–03/96

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2017

विषयः– दिव्यांगजनों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–158/वि0ज0वि0/यो0/2017–18 दिनांक 13.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक नियमावली–1997 यथा संशोधित दिनांक 11 अप्रैल, 2012 में दिव्यांगजन से विवाह करने पर दिये जाने वाले विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि नियम–6(1) के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000/– व नियम–6(2) के अन्तर्गत युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– तथा नियम–6(3) के अन्तर्गत युवक–युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– निर्धारित है। प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियम–6(1) एवं नियम–6(2) के अन्तर्गत निर्धारित राशि को यथावत् रखते हुये नियम–6(3) के अन्तर्गत निर्धारित राशि रू0 20000/– को बढ़ाकर रू0 35000/– प्रति दम्पत्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त संशोधित राशि ऐसे विवाहों के सम्बन्ध में प्रभावी होगी, जो इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद सम्पन्न होंगे।

3– उक्त सीमा तक ''विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली'' को आंशिक रूप से संशोधित कर दिया जाये।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–815/दस–2017, दिनांक 08 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-44/2023/455/65-2099/394/2019

प्रेषक,

अजीत कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2023

विषय:-दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली,1997 (यथासंशोधित) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5460/दि0स0वि0/शा0अनु0/2019-20 दिनांक 21.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली, 1997 यथासंशोधित दिनांक 31.01.2018 में अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ ''विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड करने की व्यवस्था की गयी, के स्थान पर निर्धारित अभिलेखों में विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वैच्छिक करने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।''

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-479/65-2-98/-3/96 दिनांक 02.07.1998 (जो दिनांक 15.07.1997 से लागू है) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली निर्गत की गयी। उक्त नियमावली में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3048/65-2-2017-3/96 दिनांक 31.01.2018 द्वारा **नियम-7(1) अनुदान के लिये आवेदन पत्र देने की विधि** में अन्य संशोधन के साथ यह संशोधन ''ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार दम्पत्ति में एक या दोनों के), बैंक खाता संबंधी प्रपत्र (राष्ट्रीयकृत बैकों जो कोर बैंकिग सिस्टम से जुडे हैं।), **विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र,** अधिवास प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर अपलोड करना होगा।'' किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 21.01.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव **पर शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त उक्त योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.01.2018 में किये गये उक्त संशोधन में अन्य आवश्यक अभिलेख के साथ ''विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित अपलोड किये जाने'', के स्थान पर ''यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध हैं, तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर उसे अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा'',** की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थापित की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली,1997 (यथासंशोधित) दिनांक 31.01.2018 की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-455/65-2099/394/2019 तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय, उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या 479/65-2-98/-3/96 दिनांक 2-7-98 द्वारा संशोधनोपरान्त विकलांग व्यक्तियों से विवाह नियमावली का स्वरूप

1. संक्षिप्त नाम-

यह नियमावली विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली 1997 कही जायेगी।

2. प्रारम्भ होने का दिनांक -

यह नियमावली 15-7-1997 से प्रवृत्त होगी।

3. परिभाषायें-

क. अनुदान से तात्पर्य अनुदान की उस धनराशि से है जो केवल एक बार ही स्वीकृत की जायेगी, जिसका भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

ख. सरकार का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार से है।

ग. जिला मजिस्ट्रेट का तात्पर्य उस जिले के जिलाधिकारी/जिलामजिस्ट्रेट से है जिसके क्षेत्रीय अधिकारिता में कोई विशिष्ट दंपति, जो इस नियमावली के अधीन अनुदान का पात्र हो, स्थाई रूप से निवास करता है या अधिवासित है।

घ. विकलांग व्यक्ति से तात्पर्य विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा-2, उपधारा (बी) (आई) (एन), (ओ), (क्यू), (आर), (टी) तथा (यू) में विकलांगता की दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों से है जिसे प्राधिकृत चिकित्सक ने किसी भी विकलांगता की श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण-पत्र दिया हो :-

1. दृष्टिहीन/न्यून दृष्टि (ब्लाइंड/लो विज़न)-

दृष्टि गोचरता का पूर्ण अभाव हो या चश्में के साथ 6/60 या 20/200 स्नेलेन से अधिक दृष्टि की तीक्षणता हो या दृष्टिक्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अक्षांतरकारी हो या उससे अधिक खराब हो या उपचार के बावजूद दृष्टि संबंधी कृत्य का ह्रास हो गया हो किन्तु वह उचित सहायक युक्ति से दृष्टि का उपयोग किसी कार्य के नियोजन अथवा निष्पादन हेतु करता हो या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ हो।

2. मूक बधिर (हियरिंग इम्पेयरमेंट)-

60 डेसीबेल या उससे अधिक श्रवण शक्ति का ह्रास, संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कान हो।

3. शारीरिक अक्षम (लोकोमोटिव डिसेबिलिटी)-

शरीर की हड्डी जोड़ तथा मांसपेशियों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्ता के कारण शारीरिक अंगों की गतिशीलता पर्याप्त बाधित हो गई हो या शारीरिक विकास की बाल्यावस्था में मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से असामान्य शारीरिक विकृति पैदा हो गई हो।

4. मानसिक मंदता (मेन्टल रिटार्डेशन)-

मस्तिष्क के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास के कारण विशेषतः बुद्धिमत्ता का स्तर सामान्यतया से निम्न हो।

5. मानसिक रोगी (मेंटल इलनेस)-

मानसिक मंदता से भिन्न अन्य किसी भी प्रकार का मानसिक विकार।

6. कुष्ठ रोग से मुक्त (लेप्रोसी क्योर्ड)-

जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हो किन्तु हाथों पैरों मं संवेदना की कमी हो तथा नेत्र और पलकों में भी संवेदना (सेंसेशन) न हो, किंतु कोई प्रगट निरूपता न हो या प्रगट विरूपांगता ग्रस्त हो, किंतु हाथ पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो, जिससे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकता हो।

ङ सामान्य युवक/युवती का तात्पर्य ऐसे युवक युवतियों से है जिनमें उक्त इंगित किसी प्रकार की विकलांगता न हो। विकलांग युवक/युवती का तात्पर्य ऐसे युवक/युवतियों से है जिनमें उक्त इंगित किसी प्रकार की विकलांगता हो।

च. सक्षम चिकित्साधिकारी से तात्पर्य उस चिकित्साधिकारी से है, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर पात्र व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया हो।

4- पात्रता

नियमावली में दी गयी शर्तों के अधीन किसी दंपत्ति को अनुदान देने के लिए पात्रता निम्नलिखित शर्तो पर निर्भर होगी:-

1. दंपत्ति भारत का नागरिक हो।
2. दंपत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो।
3. दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामलें में दंडित न किया गया हो।
4. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हों
5. दंपत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा विकलांग से प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो।
6. दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
7. जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीडन या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।

5. अनुदान देने की शर्ते

(1) अनुदान पात्र दंपत्ति को संयुक्त रूप से देय होगा और केवल एक बार दिया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन अनुदान प्राप्त करने वाले विवाहित दंपत्ति में किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/विवाह विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर दंपत्ति अनुदान की संपूर्ण धनराशि सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वह भूराजस्व की भाँति वसूल होगी।

(3) यदि बिना किसी न्यायसंगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दंपत्ति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो अनुदान की संपूर्ण धनराशि भूराजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

6. अनुदान की धनराशि

(1) अनुदान की धनराशि दंपत्ति में युवक के विकलांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर ग्यारह हजार रूपये होगी।

(2) अनुदान की धनराशि दंपत्ति में युवती के विकलांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर केवल चौदह हजार रूपये होगी।

(3) अनुदान की धनराशि दंपत्ति (युवक युवती दोनों) के विकलांग होने की दशा में विवाह करने पर केवल चौदह हजार रूपये होगी।

7. अनुदान के लिए आवेदन पत्र देने की विधि

(1) अनुदान के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 में विहित प्रपत्र में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर यथास्थिति उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा या उसकी पत्नी या उसके पति का अंगूठा लगा हो और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाये जायेगें :-

(एक)- सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा दंपत्ति नें से किसी सदस्य अथवा दंपत्ति में दोनों के विकलांग होने पर दोनों सदस्यों को दिया, गया विकलांगता प्रमाण-पत्र।

(दो) विवाह संबंधी विवरण (ग्राम प्रधान/सदस्य/अध्यक्ष, जिला परिषद/स्थानीय विधायक/सांसद/राजपत्रित अधिकारी/सभासद/अध्यक्ष टाउन एरिया/नगर निगम द्वारा प्रमाणित)

(तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा परिशिष्ट 2 में विहित प्रपत्र में रू0 पांच के स्टाम्प पत्र (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित करार।

(चार) आवेदन पत्र पर वर तथा वधू के नवीनतम फोटोग्राफ, ग्राम प्रधान, सभासद या राजपत्रित अधिकारी या 7 (2) में उल्लिखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चस्पा करना होगा।

(2) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संमीक्षा करने के पश्चात ऐसे दंपत्ति के जिन्हें वह अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र समझे, आवेदन पत्र को सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी सिफारिश जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगे।

8- अनुदान स्वीकृत व अधिकार

(1) अनुदान स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित जिला अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट उ0प्र0 में निहित होगा।

(2) शासन द्वारा अनुदान की धनराशि निदेशक विकलांग कल्याण उ0प्र0 को उपलब्ध कराई जायेगी तथा वह आवश्यकतानुसार जनपदों में धनराशि का आवंटन करेंगे। प्रदेश स्तर पर धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक विकलांग कल्याण उ0प्र0 द्वारा रखा जायेगा तथा जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का लेखा-जोखा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा रखा जायेगा। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि की शर्तो का पालन निदेशक विकलांग कल्याण सुनिश्चित करेंगे तथा इसका उपयोग प्रमाण-पत्र शासन को यथासंभव उपलब्ध करायेंगे।

विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

अभ्यर्थियों की प्रमाणित फोटो

1. नाम सहित वर्तमान पता- (क) पति
   (ख) पत्नी
2. विवाह के पूर्व पूरा पता- (क) पति
   (ख) पत्नी
3. राष्ट्रीय, धर्म, जाति (क) पति
   (ख) पत्नी
4. विवाह विवरण :-
   (1) विवाह के समय आयु (क) पति
   (ख) पत्नी
   (2) विवाह सम्पन्न होने का दिन
   (3) विवाह का विस्तृत विवरण
   (क) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है ? यदि हाँ तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ।
   (ख) विवाह किसें धार्मिक रीति से सम्पन्न हुआ है? इस सम्बंध में प्रमाण। साक्ष्य क्या है ?
   (ग) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य, यदि हो।
   (घ) उन दो जिम्मेदार व्यक्ति के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ-
   (अ) नाम
   पता
   (ब) नाम
   पता
5. व्यवसाय- (क) पति
   (ख) पत्नी
6. पति के पिता का नाम- (क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय)
   (ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति।
7. पत्नी के पिता का नाम- (क) उनका पता तथा व्यवसाय यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय)

8. उत्तर प्रदेश में निवास का समय-

(क) पति

(ख) पत्नी

9. संलग्नों का विवरण- (1) उम्र का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या-अवलोकीनीय।

(2) आय का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

(3) विवाह का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

(4) अधिवास प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

(5) विकलांगता का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या अवलोकनीय।

हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेते है कि उपरोक्त तथ्य शुद्ध एवं ठीक है तथा हमने विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान/ प्रोत्साहन नियमावली, 1997 को भली-भाँति देख लिया है तथा हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे।

दिनांक.....

पति का हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....

परिशिष्ट-2

करार विलेख (जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर होगा)

हम-1 (पति).....पुत्र श्री.....निवासी.....

2- (पत्नी).....

एतद्द्वारा पति पत्नी के रूप में रहने के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करते हैं और व्यतिक्रम की स्थिति में अनुदान की समस्त धनराशि भू-राजस्व की बकाया की भाँति सरकार को वापस करने के उत्तरदायी होंगे।

पति के हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....

संख्या–558 / 65-2-98-3 / 96

प्रेषक,

श्री एन.एस.यादव
उप सचिव, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 10.7.98

विकलांग कल्याण-2

विषय : सामान्य युवक युवतियों द्वारा विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन नियमावली 1997 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 499 / 65-2-98-3 / 96 दिनांक 3-7-98 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के साथ प्रेषित नियमावली के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत नियम-2 (प्रारम्भ होने का दिनांक) को निम्नवत् पढ़ा जाये प्रारम्भ होने का दिनांक -2 यह नियमावली 15-7-97 से प्रवृत्त होगी। नियम 6 (2) (3) दिनांक 2-7-98 से लागू होगा।

भवदीय
(एन.एस. यादव)
उप सचिव।

महत्वपूर्ण
संख्या-246 / 65-2-2004

प्रेषक,

श्री रोहित नंदन
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2004

विकलांग कल्याण अनुभाग-2

विषय :- विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा अनुदान दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान हेतु जनपद में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति की तिथि के अनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाए, तथा उपलब्ध बजट से "प्रथम आओं प्रथम पाओ" के सिद्धान्त पर ही नियमानुसार अनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय
(रोहित नन्दन / सचिव)

निदेशालय विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2004

पत्रांक सी-3069 / वि0क0 / यो0 / 2003-04

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया शासन के उक्त निर्देशों के अनुरूप प्रश्नगत योजना में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(शिव नन्दन प्रसाद)
अपर निदेशक / कृते निदेशक

संख्या–865/65–2–2011–3/1996

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विकलांग कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2012

विषयः– विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली में संशोधन।

महोदय,

आपके पत्रांक–307/वि0क0/यो0/2011–12, दिनांक 03–5–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक नियमावली 1997 यथा संशोधित दिनांक 02–7–1998 में विकलांग जन से विवाह करने पर दिये जाने वाले विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार की दर नियम–6 (1) के अन्तर्गत वर के विकलांग होने की दशा में रू0 11000/–एवं नियम–6 (2) तथा 6 (3) के अन्तर्गत वधू या वर–वधू दोनो के विकलांग होने की दशा में रू0 14000/–निर्धारित है। प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियम–6(1) के अन्तर्गत निर्धारित दर को बढाकर रू0 15000/– प्रति दंपत्ति एवं नियम–6(2) तथा 6(3) के अन्तर्गत निर्धारित दर को बढाकर रू. 20,000/– प्रति दंपत्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त संशोधित दर 01 अप्रैल, 2012 से एवं ऐसे विवाहों के सम्बन्ध में प्रभावी होगी, जो इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद सम्पन्न होगें।

3– उक्त सीमा तक "विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली" को आशिक रूप से संशोधित कर दिया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–2372/दस–2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
विशेष सचिव।

+22

संख्या–938 / 65–2–2015–03 / 96

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग जन विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2015

विषयः– विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–367 / वि0ज0वि0 / यो0 / 2015–16 दिनांक 28.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक नियमावली, 1997 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

विद्यमान नियम	प्रस्तावित संशोधित नियम
"विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान हेतु जनपद में प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में अंकित किया जाये तथा उपलब्ध बजट से 1997 से विकलांगजनों से विवाह करने पर विवाह की तिथि के अनुसार ही नियमानुसार अनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।	"विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान हेतु जनपद में प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में अंकित किया जाये तथा चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित विवाह से संबंधित आवेदन पत्र ही नियमानुसार अनुदान हेतु गान्य होंगे तथा उपलब्ध बजट से विवाह की तिथि के अनुसार ही नियमानुसार वितरण सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा।

2– उपर्युक्त संशोधन के अनुसार ही अनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा। कृपया इस संबंध में समस्त जिला विकलांग जन विकास अधिकारी उ0प्र0 को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
सचिव।

निदेशक कैम्प
कम्प्यूटर सं0...1734
दि0...06-02-18

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2
संख्या–3048 / 65–2–2017–3 / 96
लखनऊ : दिनांक–31 जनवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–479 / 65–2–98–3 / 96 दिनांक 02.07.1998 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली, 1997 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली में दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदान हेतु पात्रता की शर्तें, अनुदान की दर, चयन प्रकिया एवं भुगतान प्रकिया आदि का निर्धारण किया गया है।

2– उक्त नियमावली दिनांक 02.07.1998 में दी गई व्यवस्थानुसार दिव्यांगजन को विवाह करने पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र सीधे दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। सत्यापन की प्रकिया जटिल होने के कारण सत्यापन के पश्चात आवेदन पत्र समय से प्राप्त नहीं होने के कारण पात्र दम्पति उक्त योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–479 / 65–2–98–3 / 96 दिनांक 02.07.1998 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदान हेतु प्रोत्साहन नियमावली, 1997 के नियम–7 के बिन्दु संख्या–(1) व (2) में निर्धारित प्राविधान को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

स्तम्भ–1 प्रचलित नियमावली का नियम	स्तम्भ–2 संशोधित नियम
7– अनुदान के लिए आवेदन पत्र देने की विधि:– (1) अनुदान के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट–1 में विहित प्रपत्र में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर यथा स्थिति उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा या उसकी पत्नी या उसके पति का अंगूठा लगा हो और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगायें जायेंगे– (एक) सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा दम्पति में से किसी सदस्य अथवा दम्पति में दोनों के विकलांग होने पर दोनों सदस्यों को दिया गया विकलांगता प्रमाण–पत्र। (दो) विवाह संबंधी विवरण (ग्राम प्रधान / सदस्य / अध्यक्ष, जिला परिषद / स्थानीय विधायक / सांसद / राजपत्रित अधिकारी / सभासद / अध्यक्ष टाउन एरिया / नगर निगम-द्वारा प्रमाणित) (तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा परिशिष्ट–2 में विहित प्रपत्र में रू0 पांच के स्टाम्प पत्र (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित करार। (चार) आवेदन पत्र पर वर तथा वधू के नवीनतम फोटोग्राफ, ग्राम प्रधान, सभासद या	1. शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल http://uphwd.gov.in पर लॉगिन करके आवेदक द्वारा इस आशय के लिए उपलब्ध विकल्प में जाकर निर्धारित प्रारूप पर ऑन–लाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। 2. आवेदन साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट, जन सुविधा केन्द्र, विभागीय बेवसाइट एवं लोकवाणी आदि के माध्यम से स्थापित केन्द्रों के माध्यम से किया जा सकता है। 3. ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म–तिथि का अंकन हों, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार दम्पति में एक या दोनों के), बैंक खाता संबंधी प्रपत्र (राष्ट्रीयकृत बैंको में जो कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हो का खाता संख्या), विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्व–प्रमाणित कर अपलोड करना होगा। 4. आवेदन पत्र जनपद स्तर पर ऑन–लाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होने के पश्चात् जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक के डेटा को डाउनलोड कर रजिस्टर में आवेदन करने के दिनांक के अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। 5. पोर्टल पर अपलोड कराये गये आवेदक के डाटा को डाउनलोड करने के पश्चात आवेदन पत्र के साथ

राजपत्रित अधिकारी या 7 (2) में उल्लिखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चस्पा करना होगा। (2) जिला विकलांग कल्याण अधिकारी प्राप्त आवेदन–पत्र की आवश्यक समीक्षा करने के पश्चात ऐसे दम्पति के जिन्हें वह अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र समझे, आवेदन पत्र को सभी प्रमाण–पत्रों सहित अपनी सिफारिश जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगे।	अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन–लाइन किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ अपलोड उक्त अभिलेखों का, जिसका सत्यापन किसी कारणवश ऑन–लाइन नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा डाटा का ऑफ लाइन सत्यापन कराया जायेगा। 6. सत्यापन में पात्र/अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति के पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदकों को उनके प्रदत्त बैंक खातों में ई–पेमेंट के माध्यम से प्रोत्साहन पुरस्कार के निमित निर्धारित धनराशि का अन्तरण किया जायेगा। अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन पत्रों का कारण बताते हुए पत्रावलित किया जायेगा। 7. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा निम्न अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा:– (1) आवेदन पत्र की पंजी। (2) स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की पंजी एवं पत्रावली। (3) भुगतान की गयी धनराशि के विवरण से संबंधित पूर्व निर्धारित पंजी।

3– उक्त शासनादेश संख्या–479/65–2–98–3/96 दिनांक 02.07.1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या–3048(1)/65–2–2017–3/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–2639/दि0स0वि0/शा0अनु0/2017–18 दिनांक 12.09.2017 के संदर्भ में।
(5) समस्त उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
(6) समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0।
(7) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1/3।
(8) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3।
(9) समाज कल्याण अनुभाग–2।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
संयुक्त सचिव।